कार्यालय नगर पालिका नदबई (भरतपुर)

क्रमांक :– न.पा.न. / स्टोर / 2017–18 / 4075 – 4079 दिनांक :– 17/3/17

NIT No.02/2017-18

नगर पालिका नदबई द्वारा निम्न कार्यों को खुली बोली प्रक्रिया से नीलामी द्वारा आवंटित किया जाना है।

क्र	कार्य का नाम	बोली दिनांक	खुली नीलामी का समय	धरोहर राशि	वित्तीय वर्ष
1	ठेका यूनीपोल – 10 साईट	03.04.2017	12.00 PM To 2.00 PM	5000 / – प्रति साईट	2017–20
2	ठेका गेन्ट्री – 07 साईट	03.04.2017	12.00 PM To 2.00 PM	5000 / – प्रति साईट	2017–20
3	ठेका मृतक जानवरों की हड्डी व खाल	03.04.2017	12.00 PM To 2.00 PM	20,000 / –	2017–18

शर्तें :–

1. धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नदबई के नाम देय होगा तथा धरोहर राशि नगद भी जमा कराई जा सकती है। बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से पूर्व अधिशाषी अधिकारी से आवेदन को मार्क कराकर धरोहर राशि पालिका कोष में जमा करायेंगे। बिना धरोहर राशि के नीलामी मान्य नहीं होगी।
2. ठेकों की शर्तों के बारे में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पालिका कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की दर स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
3. उक्त निविदा की पूर्ण जानकारी विभाग की वेबसाईट http://urban.rajasthan.gov.in/ulbnadbai व पोर्टल http://sppp.raj.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।
4. संवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का समय प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होगा। समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नदबई

क्रमांक :– न.पा.न. / स्टोर / 2017–18 / दिनांक :–

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ :–

1. श्रीमान् प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेश में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. श्री अनिल कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट व पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. लेखाशाखा, नगर पालिका नदबई।
4. स्टोर शाखा, नगर पालिका नदबई।
5. चस्पा नोटिस बोर्ड, नगर पालिका नदबई।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नदबई

F:\Office Files\E tander\Nib 2017-18.doc

कार्यालय नगर पालिका नदबई (भरतपुर)

शर्तनामा ठेका चमडी हड्डी

1. यह है कि नगर पालिका में खुली बोली में शामिल होने से पूर्व अमानत राशि के तहत् 5000/– रूपये जमा कराने होंगे।
2. यह है कि बोली राशि को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका का होगा।
3. यह है कि ठेका वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की होगी।
4. यह है कि किसी भी प्रकार के विवाद में नगर पालिका का फैसला अन्तिम फैसला होगा।
5. यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पालिका की राशि बकाया है वह खुली बोली में शामिल नहीं हो सकता है।
6. यह है कि ठेकेदार मुर्दा मवेशी बस्ती से करीब 3 (तीन) किलोमीटर दूर स्वयं की भूमि में डालेगा। नगर पालिका द्वारा कोई स्थान देय नहीं होगा। मुर्दा मवेशी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालेगा। संवेदक द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र पालिका में प्रस्तुत करना होगा।
7. यह है कि ठेकेदार किसी मवेशी मालिक से मुर्दा मवेशी उठाने की राशि वसूल नहीं करेगा। शिकायत आने पर व दोषी पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
8. यह है कि ठेकेदार बस्ती से दूर खाल व हड्डी का स्टॉक रख सकेगा और जब कभी मुर्दा मवेशी की सूचना दी जावेगी तो तुरन्त 1 (एक) घण्टे के अन्दर मवेशी उठाना होगा अन्यथा पालिका द्वारा उठाये जाकर हर्जा खर्चा ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
9. यह है कि ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका समाप्त कर अमानत राशि जप्त करली जावेगी।
10. यह है कि ठेका स्वीकृति की पूर्ण राशि तुरन्त जमा करानी होगी।
11. यह है कि अमानत राशि ठेका अवधि समाप्ति के बाद वापस दी जावेगी।
12. यह है कि ठेका स्वीकृति के बाद 100/– रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा तहरीर कर देना होगा।

अधिषाशी अधिकारी
नगर पालिका नदबई

कार्यालय नगर पालिका नदबई (भरतपुर)

क्रमांक :— न.पा.न./स्टोर/2017—18/ दिनांक :—

ठेका विज्ञापन एवं होर्डिंग्स बोर्ड लगवाने वास्ते आवश्यक शर्ते

1. यह ठेका वित्तीय वर्ष 2017—20 में 31 मार्च 2020 तक के लिए दिया जावेगा। वर्तमान बोली से प्रत्येक वित्तीय वर्श में राशि 10 प्रतिशल बढाकर ली जावेगी।
2. संवेदक द्वारा 2 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
3. यह ठेका खुली नीलामी से दिया जावेगा। ठेके में भाग लेने से पूर्व संवेदक को धरोहर राशि निविदानुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नदबई के नाम देय हो, जमा करानी होगी। तथा धरोहर राशि नगद भी जमा कराई जा सकती है। अधिकतम दर वाले बोलीदाता की बोली स्वीकार होने के 24 घण्टे के अन्दर 25 प्रतिशत राशि पालिका कोष में जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि डिमाण्ड नोटिस जारी होने के 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी अन्यथा जमा धरोहर राशि एवं 25 प्रतिशत राशि जब्त करली जावेगी।
4. किसी भी नीलामी बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा।
5. ठेकेदार को ठेका स्वीकृति के 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित 500/— रू. के नॉन—ज्यूडिशियलस्टाम्प पर ठेके की निर्धारित शर्तो के अनुसार अनुबंध पत्र पर जिस पर 2 जमानती के हस्ताक्षर हो पालिका को लिखकर देना होगा। अनुबंध पत्र के अभाव में ठेका पालिका द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा।
6. सडक के मुख्य चौराहों व मोडों पर इस प्रकार होर्डिंग्स लगाये जावेंगे जिससे यातायात में बाधा नहीं आये।
7. जनहित में लगाने वाले होर्डिंग्स से किसी भी प्रकार की राशि ठेकेदार द्वारा नहीं वसूली जावेंगी तथा नगर पालिका के होर्डिंग्स बैनर से कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा।
8. यदि कोई विज्ञापन अथवा होर्डिंग्स पर लिखाई एवं चित्र भद्दा प्रदर्शन करता है तो नगर पालिका को अधिकार होगा कि वह उक्त होर्डिंग्स को जब्त कर सकेगा व नष्ट कर सकेगा एवं किसी भी तरह के अभियोजन के लिए संवेदक उत्तरदायी होगा।
9. ट्रीगार्ड, बस शैल्टर, कचरा पात्र पर किसी प्रकार का होर्डिंग्स नहीं लगाया जावेगा न ही पालिका की अनुमति के बिना विज्ञापन छापा जावेगा।
10. फुटपाथों व डिवाईडरों की ग्रिल/रोलिंग पर बिना पालिका की अनुमति के कोई विज्ञापन नहीं लगाया जावेगा।
11. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ की ओर नहीं किया जावेगा।
12. विद्युत चलित विज्ञापन लगाने से पूर्व नगर पालिका की अनुमति लेनी होगी तथा बिजली के तारों एवं पोलों से कम से कम 20 फीट की दूरी पर लगाना होगा।
13. नगर पालिका नदबई एवं ठेकेदार के बीच कोई विवाद होगा तो उक्त विवाद में बोर्ड बैठक का निर्णय मान्य होगा।
14. जिस ठेकेदार के नाम ठेका स्वीकृत होगा उसको नियमानुसार अन्तिम स्वीकृत ठेका राशि पर पृथक से नियमानुसार सेवाकर पालिका को जमा कराना होगा।
15. राज्य सरकार के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकार व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की जन कल्याण योजना के प्रचार—प्रसार हेतु प्राईम लोकेशन 10 प्रतिशत भाग पर विज्ञापन होर्डिंग्स हेतु स्थान आरक्षित करना होगा।
16. यदि किसी ठेकेदार पर नगर पालिका की पूर्व की किसी भी प्रकार की ठेके की राशि बकाया होगी तो वह नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।
17. अनुबंध अवधि में ठेकेदार यदि किसी शर्त की अवेहलना करेगा तो उसको अनुबंध अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं जमा राशि जब्त हो जावेगी एवं ठेकेदार किसी प्रकार का विवाद या क्लेम करने का अधिकारी नहीं होगा।
18. ठेकेदार द्वारा लोकनिर्माण, वित्तीय एवं लेखानियम, श्रमनियम व अन्य निर्देशों की पालना की जावेगी।
19. उक्त ठेके में चुनावों के दौरान होर्डिंग्स की स्वीकृति निर्धारित स्थलों पर निगम द्वारा जारी की जावेगी एवं निर्धारित राशि ठेकेदार वसूल करेगा।
20. विज्ञापनदाताओं से शुल्क वसूली हेतु ठेकेदार को अपने खर्चे पर रसीद बुक छपवानी होगी जो कि नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी एवं रसीद बुक की काउन्टर प्रति वापिस नगर पालिका कार्यालय में जमा करानी होगी।
21. यदि विज्ञापन दाता कुछ महीने अथवा दिनों के हिसाब से अपना विज्ञापन लगाना चाहता है तो ठेकेदार वार्षिक दर के अनुपात में विज्ञापन दाता से साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक व त्रैमासिक शुल्क वसूल करेगा। संवेदक वार्षिक शुल्क हेतु अनावश्यक दबाब नहीं डालेगा।
22. नगर पालिका द्वारा चिन्हित स्थानों पर यूनीपोल/गेन्ट्री लगाने के कार्यो/ठेके कराने के कार्यो पर होर्डिंग्स की शर्ते प्रभावकारी नहीं होंगी।
23. होर्डिंग्स का ठेका लेने वाले संवेदक/अनुज्ञापत्रधारी का पोल कियोस्क/बैकलिट टॉवर/गेन्ट्री/यूनीपोल/ट्री गार्ड आदि विज्ञापन ठेकों पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
24. ठेकेदार द्वारा पालिका क्षेत्र में होर्डिंग्स शुल्क 75/— रू. प्रति वर्गफुट से अधिक वसूल नहीं किया जावेगा।
25. सभी यूनीपोल/गेन्ट्री पर नगर पालिका निर्देशानुसार एक तरफ दिशा निर्देश बोड लगाने होंगे।
26. यूनीपोल/गेन्ट्री स्ट्रक्चर संवेदक द्वारा स्वयं बनाये जावेंगे। नगर पालिका केवल स्थान उपलब्ध करवाएगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नदबई